न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2023/329

1. सीताराम स्वामी पुत्र रामसहाय स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
2. रामकरण पुत्र महादेव जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
3. तेजपाल स्वामी पुत्र सुवादास स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
4. ज्ञानचन्द पुत्र बंशीदास स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
5. राजेश यादव पुत्र भागीरथमल यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
6. अर्जुन लाल पुत्र गुल्लाराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
7. फूलचन्द पुत्र बंशीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
8. रामचन्द्र पुत्र बंशीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
9. महेन्द्र स्वामी पुत्र फूलचन्द स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर ।
10. श्रीमती धोली देवी गुर्जर पत्नी दयाराम गुर्जर सरपंच ग्राम पंचायत बडोदिया पंचायत समिति विराटनगर जयपुर ।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर निर्णय दिनांक 20/5/2022 प्रार्थना पत्र संख्या 10/2023 उनवानी सरकार बनाम बामनवास व अन्य जिसके तहत अपीलान्ट को बिना सनुवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया।

उपस्थित—

1. श्री रमेश शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक –15.05.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर के निर्णय दिनांक 20.05.2022 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर जिला जयपुर में स्थित खसरा नं. खसरा नम्बर 2908 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2913 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2914 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2917/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2917 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2918 रकबा 0.05 हैक्टेयर के खातेदार व काश्तकार की भूमि में से तहसीलदार विराटनगर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर को रास्ता प्रस्ताव भेजा जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी विराटनगरद्वारा खसरा नंबर 2908/0.12 में से 0.02, 2913/0.06 में से 0.01, 2914/0.08 में से 0.01,2917/1/0.02 में से 0.01, 2917/0.03 में से 0.01, 2918/0.05 में से 0.01 हैक्टेयर को राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेशदिनांक 20.05.2022 को दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 20.05.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट सीताराम स्वामी पुत्र रामसहाय स्वामी द्वारा यह अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र एवं 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर 20.05.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । रेस्पो0 संख्या 2 से 10 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार विराट नगर जिला जयपुर द्वारा 2917/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते के लिये दशार्ते हुये उक्त रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी विराट नगर जयपुर के समक्ष बिना अपीलान्ट को सुने बिना एंव बिना अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी किये बिना एंव बिना मौका निरीक्षण किये बिना ही उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे बिना समझे बिना ही उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जिला जयपुर ने दिनांक 20–05–2022 को बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये एंव बिना प्रकरण को दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।अपीलान्ट के खसरा 2917/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, का गलत रूप से रास्ता दर्ज कर दिया।जबकि उक्त भूमि मे न तो पूर्व मे रास्ता था ना ही वर्तमान में हैउक्त रास्ते बाबत अन्य सहखातेदारो सहमति स्वरूप शपथप भी प्रस्तुत किये गये है लेकिन उक्त शपथपत्रो में अपीलान्ट सीताराम का शपथ पत्र गलत तरीके से पेश किया गया जिस पर अपीलान्ट के न तो हस्ताक्षर ना ही अगूठा निशानी किसी अन्य व्यक्ति महेन्द्र कुमार स्वामी की अवैध सहमति के आधार पर ही नाजायज रूप से उक्त रास्ता प्रदत्त किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलाधीन निर्णय के अन्तर्गत अधीन आराजी खसरा

नम्बर 2908 रकबा 0.12 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 0.06 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड म मन्दिर श्री हनुमान जी के दर्ज व अंकित है परन्तु उक्त आराजी के बाबत बतौर सहमति रामकरण पुत्र महादेव निवासी बामणवास व तेजपाल स्वामी पुत्र श्री सुवादास स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई जो उक्त आराजी के न तो खातेदार काश्तकार है ना ही किसी प्रकार से उक्त आराजी के बाबत कोई सम्बध सरोकार नही रखते हुये भी अवैध सहमति प्रस्तुत की गई है जिसको बिना गोर किये ही अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के अनुसार यदि 2917/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर, में उक्त रास्ता प्रदत्त करने का आदेश पारित किया है। जबकि यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी रकबा मात्र 0.02 हैक्टेयर है जिसमें अपीलान्ट के खाम बाडे मकान बने हुये है । यदि उक्त रास्ता निकाला जाता है तो अपीलान्ट अपने ही घर मकानो से बेदखल हो जायेगा। उक्त तथ्यो को बिना समझे मिलीभगत से ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा अवैध लोगो का नाजायज लाभ प्रदत्त करने के उद्देश्य से उक्त निर्णय बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये पारित करवाया है जो नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उक्त विवादित भूमि में तहसीलदार द्वारा रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये हैं जबकि उक्त भूमि में पूर्व में ना तो कोई आम व सार्वजनिक रास्ता था ना ही वर्तमान में है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2022 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर दिनांक 20.05.2022 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रस्तावित रास्ता कांकरिया की ढाणी से छीण्ड कुण्डाल तक जाता है। तहसीलदार विराटनगर के द्वारा प्रार्थनाः पुत्र के साथ पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट, मौका फर्द, जमाबंदी व नक्शा प्रस्तुत किए गए है । तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त प्रस्तावित आराजी खसरा मौके पर रास्ता चालू है तथा प्रस्तावित रास्ता सावर्जनिक आम रास्ते के रूप में उपयोग मे आ रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को जारी नकल दिनांक 18.07.2023 को प्राप्त होना बताया गया है। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने पर हुई देरी को क्षम्य किया जाता है तथा प्रभावित पक्षकार होने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा अपीलांट की खातेदारी की भूमि 2917/1 रकबा 0.02 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर भूमि रास्ते

के लिये दशार्ते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत की जिस पर उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जिला जयपुर ने राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त रास्ते के संबंध में सहखातेदारो सहमति स्वरूप शपथपत्र भी प्रस्तुत किये गये है लेकिन उक्त शपथपत्रो में अपीलान्ट सीताराम का शपथ पत्र के अवलोकन करने पर अपीलान्ट के न तो हस्ताक्षर ना ही अगूठा निशानी अंकित है जबकि अन्य व्यक्ति महेन्द्र कुमार स्वामी के हस्ताक्षर अंकित है एवं संबंधित खातेदारों के सहमति पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से जाहिर होता है कि आराजी खसरा नम्बर 2908 रकबा 0.12 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 0.06 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड में मन्दिर श्री हनुमान जी के दर्ज व अंकित है परन्तु उक्त आराजी के बाबत बतौर सहमति रामकरण पुत्र महादेव निवासी बामणवास व तेजपाल स्वामी पुत्र श्री सुवादास स्वामी द्वारा प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को गौर किये बिना एवं दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो कि उचित एवं विधिसम्यक नहीं है।

अतः आदेश है किः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जिला जयपुर का निर्णय दिनांक 20.05.2022 निरस्त किया जाता है।

(डॉ. आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.05.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।